



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

5 माघ, 1944 (श०)

संख्या - 41 राँची, बुधवार,

25 जनवरी, 2023 (ई०)

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

राज्यादेश

16 दिसम्बर, 2022

संचिका सं०-5/स०भू० गिरिडीह DECCIL (स्थायी भू-हस्तांतरण)-134/2022-4437(5)/रा०--
सेवा में,

(महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)

झारखण्ड, पो०-डोरण्डा, राँची ।

विषय:-

मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक-01.12.2022 में मद संख्या-14 के रूप में लिये गये निर्णय के आलोक में गिरिडीह जिला अंतर्गत अंचल-डुमरी के मौजा- (1) बालटुण्डा, (2) करमाटोंगरी, (3) समदा, (4) पिपराडीह, (5) कोरियाडीह, (6) रामनगर, (7) भोलीडीह, (8) मधवाडीह, विभिन्न थाना संख्या, विभिन्न खाता संख्या, विभिन्न प्लॉट संख्या, कुल रकबा-7.081 एकड़ विभिन्न किस्म की भूमि (विस्तृत विवरणी संलग्न, अनुलग्नक-I) राजस्व विभागीय संकल्प सं०-4306/रा०, दिनांक-24.10.2014 में निहित प्रावधानों के आलोक में विगत तीन वर्षों का संग्रहित दलीलों के औसत दर के आलोक में प्रस्तावित भूमि के संगणित सलामी की राशि 1,31,98,254/- (एक करोड़ एकतीस लाख अठानवे हजार दो सौ चौवन) रुपये तथा सलामी का पाँच (05) प्रतिशत वार्षिक लगान का पूंजीकृत मूल्य की राशि 1,64,97,816/-

(एक करोड़ चौसठ लाख संतानवे हजार आठ सौ सोलह) रुपये एवं लगान का 145 प्रतिशत सेस का पूंजीकृत मूल्य की राशि 2,39,21,833/- (दो करोड़ उनचालीस लाख इक्कीस हजार आठ सौ तैंतीस) रुपये अर्थात् कुल देय राशि 5,36,17,903/- (पाँच करोड़ छत्तीस लाख सत्रह हजार नौ सौ तीन) रुपये मात्र (विस्तृत विवरणी संलग्न, अनुलग्नक-II) की अदायगी पर Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited (DFCCIL) को Corridor निर्माण हेतु सशुल्क स्थायी भूहस्तांतरण करने के संबंध में ।

वर्क & लोड्स

- i. जिस प्रयोजन हेतु भूमि का हस्तांतरण किया जा रहा है, उसमें भूमि की आवश्यकता नहीं रहने अथवा पाँच वर्षों की अवधि तक भूमि का उपयोग नहीं किये जाने पर यह भूमि स्वतः राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को वापस हो जाएगी ।
- ii. उपायुक्त, गिरिडीह प्रस्तावित भूमि के हस्तांतरण से संबंधित सभी खातों एवं प्लॉटों में अंकित रकबा का खतियान एवं अन्य राजस्व कागजातों से सत्यापन एवं मिलान कर आश्वस्त होने के पश्चात् ही भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई करेंगे ।
- iii. प्रस्तावित भूमि के स्थायी हस्तांतरण की तिथि को भूमि के वर्तमान मूल्य के आधार पर सलामी एवं लगान तथा सेस की गणना कर अंतर की राशि प्राप्त कर संबंधित उपायुक्त द्वारा भूमि का स्थायी हस्तांतरण किया जायेगा। परन्तु प्रस्तावित भूमि के मूल्य से यदि कम होता है तो अनुमोदित राशि की ही वसूली कर भूमि का स्थायी हस्तांतरण किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में यह राशि अनुमोदित राशि से कम नहीं होगी। उपायुक्त, गिरिडीह यह भी सुनिश्चित कर लेंगे कि यदि भविष्य में किसी प्रकार की देयता होती है तो अंतर राशि अधियाची/संस्था द्वारा भुगतये होगा। यदि अधियाची द्वारा कुल संगणित देय राशि से अधिक राशि सरकारी कोषागार में जमा करायी जाती है तो, वित्त विभाग, झारखण्ड के विहित प्रावधानों के आलोक में अतिरिक्त जमा राशि अधियाची को वापस की जाएगी। एकरारनामा में यह शर्त भी सन्निहित रहेगा ।
- iv. प्रसंगाधीन मामले में एकरारनामा का निबंधन कराया जाना आवश्यक होगा एवं निबंधन पर निबंधन शुल्क एवं मुद्रांक शुल्क धार्य होगा। एकरारनामा के निबंधन के समय अधियाची/ संस्था से उक्त राशि प्राप्त कर ली जायेगी ।
- v. यदि निर्धारित अवधि के अंतर्गत अधियाची/संस्था द्वारा कार्य प्रारंभ नहीं किया जाता है तो भूमि हस्तांतरण हेतु दी गयी राशि को जब्त कर लिया जायेगा। अधियाची/संस्था द्वारा राशि जमा किये जाने के बावजूद भी यदि जिला प्रशासन द्वारा अधियाची/संस्था को भूमि उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दोषी पदाधिकारियों/कर्मियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी ।
- vi. अन्य सभी शर्तें राजस्व विभागीय संकल्प संख्या-4306/रा0, दिनांक-24.10.2014 में निहित प्रावधानों एवं समय-समय पर सरकार द्वारा निर्गत निदेशों के अनुरूप लागू होगी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अंजनी कुमार मिश्र,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

प्रस्तावित भूमि की विवरणी :-

[illegible]

vuyxud&II**प्रस्तावित भूमि के मूल्य की गणना :-**

क्र० सं०	अभिलेख सं०	मौजा का नाम	रकबा (ए० में)	बाजार दर प्रति एकड़ (रूपये में)	सलामी की राशि (रूपये में) बाजार दर प्रति एकड़ x कुल एकड़	व्यवसायिक वार्षिक लगान (सलामी का %) (रूपये में)	वार्षिक लीज़ रेंट का पूंजीकृत मूल्य (लगान x 25 गुणा)	देय सेस का पूंजीकृत मूल्य (लगान के 145% का 25 गुणा) (रूपये में)	कुल देय राशि (रूपये में) (6+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	03/2020-21	बालुटुण्डा	0.34	1349200	458728	22936.4	573410	831444.5	1863582.5
02	04/2020-21	करमा टोंगरी	0.08	1250000	100000	5000	125000	181250	406250
03	05/2020-21	समदा	0.36	1446000	520560	26028	650700	943515	2114775
04	06/2020-21	पिपराडीह	0.85	916666.67	779166.67	38958.33	973958.33	1412239.46	3165364.46
05	04/2021-22	कोरियाडीह	0.710	1066666	757332.86	37866.64	946666.07	1372665.7	3076664
06	05/2021-22	रामनगर	1.253	2232100	2796821.3	139841	3496025	5069236.25	11362083
07	06/2021-22	भोलीडीह	1.609	2232100	3591448.9	179572.45	4489311.25	6509501.31	14590261
08	03/2021-22	मधवाडीह	1.879	2232142.86	4194196.43	209709.82	5242745.54	7601981.04	17038923
कुल			7.081		13198254.16 या 13198254		16497816.19 या 16497816	23921833.26 या 23921833	53617902.96 या 53617903

अर्थात् 5,36,17,903/- (पाँच करोड़ छत्तीस लाख सत्रह हजार नौ सौ तीन) रुपये मात्र ।

सरकार के संयुक्त सचिव ।
